राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

पत्रांक: एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2020/4244-68 जयपुर,दिनांक 1/4/2020

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर,
श्रीगंगानगर, पाली एवं सिरोही।

विषय:– रबी सम्वत् 2076 में टिड्डी प्रभावित ग्रामों में पशुशिविर संचालन बाबत दिशा–निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.1(5)आ.प्र.एवं सहा./टिड्डी/2019/2827–57 दिनांक 03.03.2020 से बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, पाली एवं सिरोही जिले के ग्रामों को कीट आक्रमण (टिड्डी) से खराबा होने पर अभावग्रस्त घोषित किया गया है। राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.03.2020 में उक्त अधिसूचना की अवधि 30 जून, 2020 तक बढ़ाने एवं टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार 60 दिवस तक पशु संरक्षण गतिविधियों के संचालन किये जाने का निर्णय लिया गया है। अभाव सम्वत् 2076 में रबी फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में पशु शिविर संचालन करने हेतु भारत सरकार के पत्रांक 32–7/2014 दिनांक 08.04.2015 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के संशोधित मानदण्डों के अनुसार दिशा–निर्देश जारी किए जा रहे हैं। **पशु शिविर केवल उन्हीं ग्रामों में संचालित किये जा सकेगे, जिन ग्रामों में टिड्डी आक्रमण से फसलों में 33 प्रतिशत एवं इससे अधिक फसल खराबा हुआ है तथा खरीफ फसल सम्वत 2076 में सूखे से अभावग्रस्त ग्रामों में पशु शिविर संचालित नहीं किये जा रहे हो।**

टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों में चारे की कमी हो जाने के फलस्वरूप जिला कलक्टर के प्रमाणीकरण/औचित्य (verification/justification) के आधार पर विभाग से अनुमोदित प्रस्तावानुसार **लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा अभाव अवधि के दौरान छोड़े गये पशुओं के संरक्षण हेतु** पशु शिविर स्वीकृत किये जाने हेतु जिला कलक्टर को अधिकृत किया जाता है।

इस सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे:–

1. ग्राम पंचायत, ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से 2011 की जनगणना के अनुसार 2000 से अधिक आबादी वाले उन ग्रामों में जिनमें वर्तमान में घोषित पशुशिविर संचालित नहीं किये जा रहे है, उन ग्रामों में पशु शिविर आवश्यकता अनुसार जिला कलक्टर की संतुष्टि के आधार पर संचालित किये जावेंगे।
2. परीक्षणोपरान्त जिला कलक्टर की स्वयं की संतुष्टि के आधार पर 2000 से कम आबादी वाले ग्रामों में भी कम से कम 100 पशु होने पर पशुशिविर खोले जाने की अभिशंषा की जा सकती है।

अभाव अवधि तक के लिए तहसीलदार द्वारा प्रमाणित पशु संख्या के अनुसार राहत सहायता की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे। विभाग स्तर से प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जावेगी। समय पर (एक सप्ताह के भीतर) प्रस्ताव का निस्तारण नहीं करने के कारण जिला कलेक्टर या सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

11. जिला कलेक्टर अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविर संचालकों को विभागीय दिशा–निर्देशों के जारी होने की तिथि के पश्चात् निर्धारित प्रकिया अनुसार पशु शिविर संचालन हेतु राहत सहायता की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करना प्रारम्भ करेंगे।

12. पशु शिविर को राहत सहायता किसी भी परिस्थिति में तहसीलदार के प्रथम निरीक्षण से देय नहीं होगी। **जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति की दिनांक से ही एस.डी.आर. एफ नॉर्म्स से राहत सहायता का भुगतान किया जावेगा।**

13. अभाव अवधि के दौरान लघु एवं सीमान्त कृषक द्वारा छोड़े गये पशुओं को पशुशिविर में रखे जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है:–

(i) पशु शिविर में पशुओं को रखे जाने की समुचित व्यवस्था यथा बाड़ा, छाया, चारा संग्रहण स्थल, पानी इत्यादि आवश्यक रूप से हो।

(ii) पशुशिविर में दाखिल किये गये पशुओं का रजिस्टर में इन्द्राज किया जावेगा।

(iii) एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार पशु शिविरों में रखे जाने वाले बड़े पशु को 70/– रूपये प्रति बड़े पशु प्रतिदिन तथा 35/–रूपये प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से चारा/पशु आहार देने हेतु राहत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

(iv) पशु शिविरों में संधारित किये जा रहे पशुओं को पशु शिविर संचालित करने वाली संस्था द्वारा 1 किलो पशु आहार बड़े पशु को तथा 1/2 किलो पशु–आहार छोटे पशु को प्रति पशु प्रतिदिन की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। यदि निर्धारित मात्रा में पशुओं को पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो आर.सी.डी.एफ. /राजफैड की प्रचलित बाजार दर से पशु आहार की राशि बड़े पशु तथा छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष राशि ही राहत सहायता स्वरूप स्वीकृत की जावे।

(v) पशु आहार राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफैड से कय किये जाने की स्थिति में ही अनुदान राशि देय होगी।

(vi) पशुशिविरों में जितने पशुओं की स्वीकृति जारी की जावे, उन पशुओं के पेटे एक माह में पशुआहार हेतु जितनी राशि की आवश्यकता है, उतनी राशि जिला कलक्टर के द्वारा ऑनलाइन बजट की मांग पर दे दी जावेगी। यह राशि उनके द्वारा आरसीडीएफ/राजफेड को अग्रिम दी जावेगी। उक्त राशि के आधार पर

दिनांक की सूचना उस प्रतिनिधि को प्रदान की जावे ताकि बैठक में जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो सके।

16. लघु एवं सीमान्त कृषकों के पशुओं की सूची (पशुओं के प्रकार सहित) ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील, उपखण्ड एवं जिला स्तर पर नोटिस बोर्ड पर लगाई जावेगी। साथ ही सामाजिक अंकेक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु उक्त सूची जिले की वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी।

17. ऐसे समस्त शिविरों का लेखा जोखा सही एवं भली प्रकार से संधारित कराया जाए, जिसमें निम्न रजिस्टरों का संधारण कराया जाएं :–

क. पशु चारा/पशु आहार खरीद एवं स्टाक रजिस्टर
ख. पशुओं के पंजीकरण का रजिस्टर
ग. चारा तथा पशु आहार दैनिक वितरण रजिस्टर
घ. दैनिक आमद व खर्च का रोकड़ बही

18. ऐसे शिविरों का तथा उनके लेखों का आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग एवं जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि या मनोनीत अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा।

19. जिला कलेक्टर अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय–समय पर प्रत्येक पशु शिविर का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि इन शिविरों में निर्धारित मापदण्ड से पशुओं का पोषण किया जा रहा है तथा संस्था द्वारा संधारित अभिलेखों में अंकित संख्या के अनुसार पशु, वास्तव में शिविर में रखे गये हैं। इस प्रकार किये गये निरीक्षण की एक प्रति निरीक्षण दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सहायता विभाग एवं सम्बन्धित संस्था को भेज दी जाए।

20. पशु शिविर चलाने वाली संस्था द्वारा जिला कलक्टर को प्रत्येक चरण का हिसाब प्रस्तुत किया जाये। जिला कलक्टर की स्वयं की स्वीकृति के उपरान्त देय अनुदान राशि का भुगतान बिल प्राप्ति के 7 दिन में सीधे ही उनके बैंक खातों में DBT द्वारा किया जाये।

21. यदि पशु शिविर चलाने वाली संस्था/अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है, तो जांच के निस्तारण उपरान्त ही स्वीकृति जारी की जावे।

22. यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत पशु शिविरों में पशु वृद्धि के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर के स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान पशुओं की संख्या, पानी की व्यवस्था, चारा खिलाने की व्यवस्था, संधारित रजिस्टरों व अन्य सुविधाऐं जो विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार सही पाये जाने के उपरांत पशु बढ़ोतरी के प्रस्तावों की अनुशंषा जिला कलक्टरों को करें तथा जिला कलेक्टर द्वारा स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत ही स्वीकृति जारी की जावे।

23. स्वीकृत पशु शिविरों का आ.प्र.एवं सहा.विभाग/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित संस्था/संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जा

सकेगी। प्रत्येक पशु शिविर की उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा प्रभावी मोनिटरिंग एवं **वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी** अनिवार्यतः की जावे।

24. अधिकारियों द्वारा किये गये आकस्मिक निरीक्षण की रिपोर्ट संबंधित अधिकारी द्वारा विभागीय एप्लीकेशन 'dmis' पर ऑनलाइन अपलोड की जावेगी।

एस.डी.आर.एफ. मानदण्डों के अनुसार ही पशु शिविरों का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

1/4/2020

शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैः–

1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
2 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज.,जयपुर
3 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी ,राज.,जयपुर।
4 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
8 निजी सचिव, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन, जयपुर।
9 निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
10 निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, बीकोनर एवं जोधपुर।
11 निजी सचिव, जिला प्रभारी सचिव, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर एवं हनुमानगढ़।
12 वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
13 समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
14 प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
15 गार्ड फाईल।

संयुक्त शासन सचिव